कार्यालयः– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रूखाबाद।

पत्रांकः– डायट/ वि0बी0टी0सी0 08/ 1521 / 2009–10 दिनॉकः– 25-1-10

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश के अनुपालन में सामान्य प्रकिया से भरे जाने वाली 120 सीटो के सापेक्ष रिक्त सीटों हेतु बीस गुना द्वितीय जॉच सूची जो List of candidates for verification of original documents है, निर्गत कर दी गयी है। सम्बधित सूची एवं कटऑफ मेरिट वेबसाइट www.farrukhabad.nic.in पर क्लिक कर अपना नाम देख सकते है इस जॉच सूची से सम्बधित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंक पत्र व प्रमाण पत्र (बी0एड0 उत्तीर्ण वर्ष में संस्था को एन0सी0टी0ई0 प्रदत्त मान्यता का प्रमाण पत्र सहित) जाति आरक्षण ,विशेष आरक्षण /शिक्षा मित्र सम्बंधी प्रमाण पत्र (जो बी0एस0ए0 द्वारा जारी किया गया है) तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ , दो फाइल कवर व टैग के साथ निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार प्रातः 10 बजे संस्थान में उपस्थित हो । जॉच हेतु अभ्यर्थियों को कोई पृथक से सूचना नही दी जायेगी।

पुरूष अभ्यर्थी सभी वर्ग/श्रेणी के	28-01-10
महिला अभ्यर्थी सभी वर्ग/श्रेणी के	29-01-10

द्वितीय जॉच सूची के कट ऑफ गुणांक का विवरण

	शिक्षा मित्रों से भिन्न			शिक्षा मित्र
	महिला	पुरूष		पुरूष
	कला	कला	विज्ञान	
सामान्य	—	—	—	185.39
अन्य पिछडा वर्ग	234.00	237.97	236.58	—
अनुसूचित जाति	185.35	217.67	—	—

नोटः– 1. जारी की गई जॉच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नही है। यह मात्र मूल प्रमाण पत्रों की जॉच हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची है। तथा इसमें सम्मिलित अभ्यर्थियों का विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 में चयन हेतु स्वतः कोई दावा नही होगा यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में संस्थान में उपस्थित नही होते है तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नही किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी भी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा। और इसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता कम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा। जारी की गयी जॉच सूची माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी।

2. किसी अभ्यर्थी का गुणांक उक्त कटऑफ गुणांक से अधिक है और सूची में नाम अंकित नही है ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रत्यावेदन दिनॉकः– 1-2-10 तक संस्थान में उपलब्ध करा सकते है उक्त तिथि के पश्चात कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नही होगा।

25/1/10

(सुमित्रा देवी गर्ग)

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
रजलामई फर्रूखाबाद।

– दैनिक जागरण प्रकाशनार्थ